Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर(राज0)

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या – 69/2004

1. श्रीमति बरजी बेबा जग्गा
2. श्री सुखदेव पुत्र जग्गा
3. श्री लालसिह पुत्र जग्गा
4. श्री फूलसिह पुत्र जग्गा
5. श्री बीरसिंह पुत्र जग्गा
6. श्रीमति कमला पुत्रीयॉ श्री जग्गा
7. श्रीमति शान्ता पुत्रीयॉ श्री जग्गा
8. श्रीमती छोटी देवी पुत्रीयॉ श्री जग्गा
9. श्रीमती सुनिता पुत्रीयॉ श्री जग्गा
10. श्री नंगा पुत्र धन्ना

सभी जाति रावत निवासी ग्राम गुढा तहसील एवं जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. श्री भंवर पुत्रान श्री धन्ना जाति रावत निवासी ग्राम गुढा तहसील व जिला अजमेर
2. बिशन पुत्रान धन्ना जाति रावत निवासी ग्राम गुढा तहसील व जिला अजमेर

3. श्रीमति नंगी पुत्री श्री धन्ना पत्नि लाडजी जाति रावत निवासी माखुपुरा तहसील एवं जिला अजमेर

4. श्रीमति भंवरी देवी पुत्री धन्ना पत्नि नौरत जाति रावत निवासी ग्राम बौराज तहसील एवं जिला अजमेर

5. राजवान पुत्र श्री बिशन जाति रावत निवासी ग्राम गुढा तहसील एवं जिला अजमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

श्री अजित सिंह राठौड अभिभाषक वादीगण

श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक प्रतिवादी

राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 05.12.2019

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई ताकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज राजस्व अभिलेख आदि का अवलोकन किया गया ।

बहस के दौरान वादी के अभिभाषक ने बहस करते हुए सभी तनकीयो पर सम्मलित रूप से वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी के बाबत तथ्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि वाद ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि ग्राम गुढा तहसील अजमेर

Scanned by CamScanner

स्थित भूमि जिसके वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 115 मिन , 318, 324, 370, 371, 380, 420 मिन, 421 मिन, 425, 649, 650, 857, 888, 1436, 1437, 1464, 1444, 1470, 1472 एवं 1476 कुल रकबा 24–7–00 के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर चाहे गए अनुतोष का वाद डिक्री करते हुए उसके राजस्व अभिलेख में पृथक पृथक खाता कायम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु एवं वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त भूमि में मजामत करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा पाबन्द हेतु वाद प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ । प्रतिवादी संख्या 6 सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया । तथा प्रतिवादी संख्या 5 का जवाबदावा दिनांक 20.3.2006 को अनेक अवसर देने के उपरान्त पेश नही करने पर बंद किया गया । पक्षकारान के अभिवचन के अनुसार तनकीयात दिनांक 26.3.2007 को कायम की गई ।

1. आया वादी आराजी भूमि के सहकाश्तकार की हैसियत रखता है। वादी

2. आया वादी आराजी भूमि के विभाजन व कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी

3. आया वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी

4. जवाब दावे में वर्णित खसरा नम्बर 1470 रकबा (जवाबदावे में वर्णित) प्रतिवादी श्री बिशनलाल ने छोगा से क्रय की है। प्रतिवादी

5. अनुतोश

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.6.2009 को आदेश 22 नियम 10 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती नंगी का स्वर्गवास 27.7.2008 को सूचना हेतु प्रस्तुत किया जिसकी नकल भी वादी द्वारा 23.7.2009 को प्राप्त कर ली गई। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम की कार्यवाही नही कर वादी की ओर से दिनांक 17.5.2011

Scanned by CamScanner

को प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती नंगी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसका नाम वाद पत्रावली से तर्क किये जाने हेतु प्रस्तुत किया । परन्तु प्रार्थना पत्र में यह कही कथन नही किया कि श्रीमती नंगी का स्वर्गवास नाऔलाद हुआ हो अथवा श्रीमती नंगी का कोई वारिस नही है। वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेघाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 3 धन्ना की पुत्रियॉ होने से सहकाश्तकार हिस्सेदार है। इस कारण श्रीमति नंगी के वारिस वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिनकी अनुपस्थिति में बंटवारे का अनुतोश दिया जाना असम्भव है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.5.2011 बाबत नंगी का नाम तर्क करने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व वाद को उपसम्मित कर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व खारिज किया जाता है।

तनकी संख्या 1 लगायत 3 को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी को अपना वाद सिद्व करने हेतु साक्ष्य हेतु काफी अवसर दिये । तदउपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 23.7.2009 को साक्ष्य वादी बंद की गई। वादी द्वारा दिनांक 26.11.2019 को प्रार्थना पत्र वास्ते खोले जाने वादी साक्ष्य सपठित आदेश 18 नियम 17 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद बाबत बटवारा है। तथा वादी की साक्ष्य न्यायालय द्वारा बंद कर दी है। जिसे न्यायहित में पुनः खोला जाकर वादी को साक्ष्य का अवसर दिया जावे । जिसका लिखित जवाब प्रतिवादी संख्या 1 2 व 4 की ओर से प्रस्तुत हुआ । तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी की साक्ष्य दिनांक 23.7.2009 को ही न्यायालय द्वारा बंद कर दी गई। वादी द्वारा यह आवेदन पत्र लगभग 10 वर्ष बाद बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र बाबत खोले जाने साक्ष्य अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद एवं तनकीयात को सिद्व करने के सन्दर्भ में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। वादी अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी के आधार पर निर्णय कर दिया जावे जो स्वीकार योग्य नही है। क्योंकि दस्तावेज जब तक साक्ष्य में प्रदर्शित ना हो न्यायालय न तो दस्तावेज देख सकती है ना पढ सकती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अदम साक्ष्य में वाद सिद्व नही करने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी निरस्त किया जाता है । डिक्री पर्चा तैयार किया जाकर शामिल मिसल किया गया ।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.12.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.10 12:04:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: